# राजस्थान सरकार

## चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

## राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– पीसीपीएनडीटी सैल/परिपत्र/2012/ 482 दिनांकः– 20/04/12

## परिपत्र क्रमांक – 17/2012

**राज्य में गर्भ–धारण पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्रों के निस्तारण बाबत।**

1. राज्य में गर्भ–धारण पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (इसके पश्चात अधिनियम संबोधित किया गया है) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना कमांक प.23(2) चि. एवं स्वा.3/2003 पार्ट दिनांक 05.01.2012 जारी की जाकर, उपखण्ड स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी (Sub Divisional Officer) को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी बनाया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण, नवीनीकरण अथवा अन्य प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित समुचित प्राधिकारी को विधिक प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में निर्णय प्रदान करना आवश्यक है।

2. जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ का संचालन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) के कार्यालय से किया जाता है। पंजीकृत केन्द्रों के द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट, फार्म "एफ" इत्यादि दस्तावेज एवं पंजीकरण, नवीनीकरण इत्यादि आवेदन पत्रों की पत्रावलियां अथवा अन्य परिवर्तन संबंधित सूचना जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में संधारित की जाती है। जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में अधिनियम से संबंधित पत्र प्राप्त होने पर संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु दस्तावेजों को प्रेषित करने का उत्तरदायित्व जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में निहित है।

3. निदेशालय के यह ध्यान में लाया गया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला नोडल अधिकारी कार्यालय में केन्द्र के पंजीयन प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन, नवीनीकरण तथा अन्य प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तुरन्त संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी को पत्रावली प्रेषित नहीं की जाकर, आवेदन पत्रों को अनावश्यक लंबित रखा जाता है फलस्वरूप निश्चित अवधि में प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है एवं नवीनीकरण के आवेदन पत्र पर 90 दिवस में निर्णय नहीं लिये जाने पर, आवेदन पत्र का प्रावधानों के अन्तर्गत स्वतः ही नवीनीकृत माना जाना विभागीय शिथिलता का परिचायक होकर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की विषयवस्तु है।

4. राज्य में अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाकर, निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक प्रकरण में

विभिन्न स्तर पर पर्यवेक्षण रखा जाकर, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये एतद् द्वारा राज्य सरकार की ओर से निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला नोडल अधिकारी कार्यालय में केन्द्र के पंजीयन प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन, नवीनीकरण इत्यादि, केन्द्रों से संबंधित अन्य आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर तत्काल संबंधित समुचित प्राधिकारी को पत्रावली प्रेषित की जावें एवं नवीनीकरण के आवेदन पत्र पर 90 दिवस में निर्णय नहीं लिये जाने पर प्रकरण के स्वतः नवीनीकृत माने जाने की दशा में देरी के लिये उत्तरदायी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी के द्वारा प्रत्येक पंजीयन एवं नवीनीकरण के आवेदन पत्र पर शीघ्र निर्णय लिया जाकर, संबंधित केन्द्र को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से सूचना प्रदान की जावें।

3. प्रत्येक पंजीकृत केन्द्र के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नियम 13 के अन्तर्गत कार्मिक/स्थान या उपकरण के परिवर्तन की सूचना समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर संबंधित समुचित प्राधिकारी के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

4. अतः संबंधित जि.ला कलक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों के संदर्भ में जारी की गयी अधिसूचना के क्रम में आप अपने जिले में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराते हुये उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना करावें।

(बी. एन. शर्मा आई.ए.एस.)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।
4. डॉ0 (श्रीमती) परम नवदीपसिंह, विधायक, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।

5. श्री बी.के. गुप्ता, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. राज्य नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक, (प0क0) राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
8. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एंव जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
10. उपनिदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं समुचित प्राधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
13. विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी), राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ राजस्थान।
14. विधि विशेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबंधक/अपराध शाखा, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
15. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र क्रमांक — 17/2012